

सभापति का भाषण

~~Copy
of
Original
Document~~

इरिडयन नेशनल कॉम्प्रेस
तिरपनवाँ अधिवेशन
रामगढ़, मार्च १९४०

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

दोस्तो !

सन् १९२३ मेरा आपने मुझे इस राष्ट्रीय महासभा का सभापति चुना था। अब १७ साल के बाद दोबारा आपने मुझे यह इज्जत बख्शी है। कौमों की जिन्दगी में या उनके सघर्ष के इतिहास मे १७ साल कोई बड़ा समय नहीं है। लेकिन दुनिया मे इतनी तेजी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं कि अब समय के पुराने अन्दाजे काम नहीं दे सकते। इन १७ साल के अन्दर एक दूसरे के बाद बहुत सी मजिले हमारे सामने आती रहीं। हमारी यात्रा लम्बी थी और हमारा बहुत सी मजिलों से होकर गुजरना जरूरी था। हम हर मजिल मे ठहरे, किन्तु कही रुके नहीं। हमने हर मुकाम को देखा भाला मगर हमारा दिल कही भी अटका नहीं। तरह तरह के उतार चढाव हमारे सामने आए किन्तु हर हालत मे हमारी दृष्टि आगे ही की ओर रही। दुनिया को हमारे इगदो के विषय मे सन्देह भले ही रहे हो किन्तु हमे अपने फैसलों के उचित होने मे कभी सन्देह नहीं हुआ। हमारा मार्ग कण्टकों से भरा था। हमारे सामने पग पग पर बड़ी बड़ी रुकावटे थीं। हम जितनी तेजी से चलना चाहते थे नहीं चल सके। लेकिन हमने अपनी शक्ति भर आगे बढ़ने मे कभी कमर नहीं की। अगर हम सन् १९२३ और सन् १९६० के बीच की यात्रा पर नजर डाले तो हमे अपने पीछे, बहुत दूर, एक धुधला सानिशान दिखाई देता है। सन् २३ मे हम अपनी मजिले मकसूद यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते थे। मगर वह मजिल हमसे इतनी दूर थी कि उस तक पहुँचने के मार्ग का निशान भी हमारी आँखों से ओझल था। लेकिन आज नजर उठाइये और सामने की तरफ देखिये—न केवल मार्ग का निशान ही साफ साफ दिखाई दे रहा है बल्कि खुद मजिल भी दूर नहीं है। हाँ! यह जाहिर है कि ज्यों ज्यों मजिल निकट आती जाती है हमारे प्रयत्नों की परीक्षा भी बढ़ती जाती है। आज नित्य नई घटनाओं ने जहाँ हमे पिछले निशानों से दूर और आखिरी मजिल (लक्ष्य) के नज-

दीक लाकर खड़ा कर दिया है वहाँ इन्ही घटनाओं ने तरह तरह की नई नई उल्भने और मुश्किले भी पैदा कर दी हैं, और एक बहुत ही नाजुक परिस्थिति, एक अत्यत सकटपूर्ण मार्ग से इस समय हमारा कौमी काफला गुजर रहा है। इस तरह की नाजुक परिस्थितियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उनमें आगे के लिये एक दूसरे के विरुद्ध सभावनाए दिखाई देती है। बहुत सभव है कि एक ठीक कदम हमें अपने लक्ष्य के विलकुल पास पहुँचा दे और यह भी सभव है कि एक गलत कदम हमें तरह तरह की नई मुश्किलों में फँसा दे। ऐसे नाजुक समय में आपने मुझे सभापति चुनकर मुझपर जिस भरोसे का सबूत दिया है वह निस्सदेह बड़े से बड़ा भरोसा है जो देश-सेवा के मार्ग में आप अपने किसी भी साथी पर कर सकते थे। यह बहुत बड़ी इज्जत है। इसीलिये यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस इज्जत के लिये शुक्रगुजार हूँ और जिम्मेदारी के लिये आपके सहयोग का सहारा चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ आपने मुझ पर इस भरोसे को प्रकट किया है उसी उत्साह के साथ आप सब का सहयोग भी मुझे मिलना रहेगा।

इस समय का असली सवाल

अब में समझता हूँ मुझे बिना किसी भूमिका के समय के असली सवाल पर आ जाना चाहिये।

हमारे लिये समय का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ३ सितम्बर सन् १९३२ के जग के एलान के बाद हमने जो कदम उठाया है वह किस तरफ जा रहा है और इस समय हम कहाँ खड़े हैं।

तायद कांग्रेस के इतिहास में उसके मानसिक चित्र का यह एक नया रंग था कि सन् १९३६ की लखनऊ की बैठक में यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय (इण्टरनैशनल) परिस्थिति, पर एक लम्बा प्रस्ताव मजूर करके कांग्रेस ने अपने नुक्ते ख्याल, अपने दृष्टिकोण का साफ साफ एलान कर दिया, और उस समय से ही वह प्रस्ताव

कॉंग्रेस के साताना एलानो का एक महत्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा बन गया। मानो इस बारे मे हमारा वह एक सोचा समझा फैसला था जो हमने दुनिया के सामने रख दिया।

इन प्रस्तावों के जरिये हमने दुनिया के सामने एक साथ दो बातों का एलान किया था—

सबसे पहली बात जिसे मैं भारतीय राजनीति का एक नया रंग कहता हूँ हमारा यह प्रनुभव करना था कि हम अपनी आजकल की बेबसी की हालत मे भी शेष ससार की राजनैतिक परिस्थिति से अलग नहीं रह सकते। आवश्यक है कि हम अपने लिये भविष्य का मार्ग बनाते हुए भी केवल अपने ही चारों ओर न देखें, बल्कि बाहर की दुनिया पर भी बगावर नजर रखें। सन्य के अनन्त परिवर्तनों ने मुळों और कौमों को इस तरह एक दूसरे के नजदीक कर दिया है और विचारों और चिनाओं की लहरे दुनिया के एक कोने से उठकर इस तेजी के साथ दूसरे कोनों पर असर डाना शुरू कर देती है कि आजकल की अवस्था मे यह अभभव है कि हिन्दुस्तान अपने प्रश्नों को सिर्फ अपनी चहार दीवारी के अन्दर बन्द रहकर सोच सके और हल कर सके। असभव है कि दाहू के हालान हमारी हालत पर तुरन्त असर न डाने, और अभभव है कि हमारी अपनी हालतों और हमारे फैसलों से दुनिया की हालतों और दुनिया के फैसलों पर असर न पड़े। लखनऊ का प्रस्ताव हमारे इस बात को अनुभव कर लेने का ही नतीजा था। उन प्रस्तावों के जरिये हमने एलान किया कि यूरोप मे उमोक्रेश्वी यानी जनतन्त्र के और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के बिन्दु, दुनिया को पीछे की ओर घसीटनेवाली, फासी-इज्म और नाजीइज्म जो नहरीके दिन बदिन जोर पकड़ती जा रही है हिन्दुस्तान उन्हे दुनिया की तरक्की और यानि के निये एक विश्वव्यापी आपत्ति समझता है और उसका दिल और दिमाग उन कौमों के साथ है जो कौमें जनतन्त्र और आजादी की रक्षा के लिये इन नहरीकों का मुकाबला कर रही है।

लेकिन जब कि हमारा दिमाग फासीइज्म और नाजीइज्म के खतरों की ओर जा रहा था तो असभव था कि हम उस पुराने खतरे को भूल जाते जो इन नई

ताकतो से कही बढ़कर दुनिया की शान्ति और आजादी के लिये घातक साबित हो चुका है और जिसने सचमुच दुनिया को पीछे घसीटनेवाली (रिएक्शनरी) इन नई तहरीकों के पैदा होने के लिये सारी सामग्री जमा कर दी है। मेरा मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत से है। इसे हम उन नई रिएक्शनरी ताकतों की तरह दूर से नहीं देख रहे हैं। यह स्वयं हमारे घर पर कब्जा जमाए हमारे सामने खड़ी है। इसलिये हमने साफ साफ शब्दों में यह बात भी खोल दी कि अगर यूरोप के इन नए भगडों ने लडाई का रूप धारण कर लिया तो हिन्दुस्तान जो आजादी के साथ इरादा करने और अपने लिये स्वयं अपना मार्ग पसन्द करने से वचित कर दिया गया है उस लडाई में कोई हिस्सा न लेगा। हिन्दुस्तान केवल उसी हालत में हिस्सा ले सकता है जब कि उसे अपनी आजाद मरजी और आजाद राय से फैसला करने का अधिकार हो। वह नाजीइज्म और फासीइज्म से बेजार है किन्तु उससे भी ज्यादा वह ब्रिटिश साम्राज्य से बेजार है। यदि हिन्दुस्तान आजादी के अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वचित रहता है तो इसके साफ साफ माइने यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य अपने तमाम परम्परागत व्यवहार के साथ जीवित है, और हमारा मुल्क किसी हालत में भी इस बात के लिये तैयार नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य की विजयों में मदद दे। यह दूसरी बात थी जिसका हमारे प्रस्ताव बराबर एलान करते रहे।

ये प्रस्ताव लखनऊ कॉग्रेस से लेकर अगस्त सन् १९३६ तक मजूर होते रहे और “लडाई के प्रस्तावों” के नाम से मशहूर हैं।

जबकि अचानक अगस्त सन् १९३६ के तीसरे सप्ताह में लडाई के बादल गरजने लगे और ३ सितम्बर को लडाई शुरू हो गई उस समय कॉग्रेस के ये सब प्रस्ताव ब्रिटिश गवरमेंट के सामने थे।

अब मैं इस मौके पर एक मिनट के लिये आपको आगे बढ़ने से रोकूँगा और प्रार्थना करूँगा कि जरा पीछे मुड़ कर देखिये। अगस्त सन् ३६ के महीने को आपने किस परिस्थिति में छोड़ा है?

ब्रिटिश गवरमेंट ने ‘गवरमेंट आफ इंडिया एक्ट सन् ३५’ जबरदस्ती हिन्दु-

स्तान के सर मढ़ा और सदा के अनुसार दुनिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इंगलिस्तान ने हिन्दुस्तान को उसके कौमी अधिकार की एक बहुत बड़ी किस्त अदा कर दी। कॉंग्रेस का फैसला इस विषय में दुनिया को मालूम है। फिर भी कॉंग्रेस ने कुछ समय के लिये रुके रहने और दम लेने का इरादा किया। कॉंग्रेस इस पर राजी होगई कि एक खास शर्त के साथ वजारते लेना स्वीकार कर ले। ग्यारह सूबों में से आठ में कॉंग्रेस की वजारते सफलता के साथ काम कर रही थी। यह बात स्वयं ब्रिटिश सरकार के हक में फायदे की थी कि जितनी देर तक मुमकिन हो सके वह इस परिस्थिति को कायम रखें। इस परिस्थिति का एक दूसरा पहलू भी था। वह यह कि जहाँ तक लडाई की ऊपरी सूरत का सबध है हिन्दुस्तान साफ शब्दों में नाजी जरमनी से अपनी बेजारी का एलान कर चुका था। उसकी हमदर्दी जनतत्र यानी डेमोक्रेसी का पक्ष लेनेवाली कौमों के साथ थी और यह पहलू भी ब्रिटिश गवरमेट के हक में था। ऐसी हालत में कुदरती तौर पर यह आशा की जा सकती थी कि अगर ब्रिटिश गवरमेट की पुरानी साम्राज्य प्रेमी मनोवृत्ति में कुछ भी परिवर्तन हुआ है तो कम से कम ऊपरी दिखावे (डिप्लोमेसी) ही की खातिर वह जरूर इस बात की आवश्यकता अनुभव करेगी कि इस अवसर पर अपना पुराना ढग बदल दे और हिन्दुस्तान को यह अनुभव करने का मौका दे कि अब हिन्दुस्तान एक नए बदले हुए वायुमण्डल में सांस ले रहा है। लेकिन हम सबको मालूम हैं कि इस अवसर पर ब्रिटिश गवरमेट का व्यवहार कैसा रहा। हृदय परिवर्तन की कोई जरा सी परछाही भी उस पर पड़ती हुई दिखाई नहीं दी। ठीक उसी तरह जैसा कि १५० साल तक उसकी साम्राज्य प्रेमी प्रकृति का ढग रहा है उसने अपने तर्जे अमल, अपने व्यवहार, का फैसला कर लिया और बिना इसके कि किसी रूप में या किसी दरजे तक भी हिन्दुस्तान को अपनी राय जाहिर करने का मौका दे उसने हिन्दुस्तान के लडाई में शामिल हो जाने का खुद ही एलान कर दिया। इस बात तक की जरूरत महसूस नहीं की गई कि उन चुनी हुई असेम्बलियों ही को अपनी राय जाहिर करने का मौका दे दिया जाता जिन्हे खुद ब्रिटिश गवरमेट ने अपनी राजनैतिक उदारता का

प्रदर्शन करते हुए हिन्दुस्तान के सिर थोपा है ।

हमें मालूम है, और सारी दुनिया को मालूम है, कि इस अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्य के और सब मुल्कों को अपने अपने व्यवहार, अपने अपने तर्जे अमल, के फैसले का मौका दिया गया था। कनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैण्ड सबने लडाई में शरीक होने न होने का फैसला अपनी अपनी धारा सभाओं में विना किसी वाहरी हस्तक्षेप के स्वयं किया। इतना ही नहीं बल्कि आयरलैण्ड ने जग में शरीक होने के स्थान पर तटस्थ रहने का फैसला किया और आपरलैण्ड के इस फैसले पर इंग्लिस्तान के किसी वाशिन्डे को आश्चर्य नहीं हुआ। निस्टर डी बेचरा ने विटेन के साए में खड़े होकर साफ साफ कह दिया कि जब तक अल्फ्स्टर के ब्रशन का सन्तोषजनक निवाटारा नहीं होता तब तक आयरलैण्ड लडाई में ब्रिटेन की मदद करने से इनकार करता है ।

लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में हिन्दुस्तान की जगह कहाँ है? जिस हिन्दुस्तान को आज यह कीमती खुताखबरों गुनाई जा रही है कि उसे ब्रिटिश सरकार के उदार हाथों से जल्दी ही—किन्तु किसी को नहीं मालूम कि कब—एक ब्रिटिश डोमेनियन या ब्रिटिश उपनिवेश का पूरा रूबां (स्टेट्स) मिलनेवाला है उसके अस्तित्व को किस तरह स्वीकार किया गया? इस तरह कि उस लडाई के अन्दर, जो ससार के इतिहास में शायद सबसे बड़ी, सबसे भयकर, लडाई होगी, हिन्दुस्तान को अचानक ढक्केल दिया गया, यहाँ तक कि हिन्दुस्तान को पता भी न चला कि वह लडाई में घरीक हो रहा है ।

केवल एक इसी घटना से हम ब्रिटिश गवरमेंट के आजकल के मिजाज और उसके रूप को उसके असली रूप में देख सकते हैं। किन्तु, नहीं, हमें जल्दी नहीं करना चाहिये। और भी मौके हमारे तामने आने वाले हैं। वह समय दूर नहीं है जब कि हम ब्रिटिश गवरमेंट को और अधिक निकट से और और अधिक वेपरदा देखने लगेंगे ।

सन् १९१८ की लडाई की पहली चिनगारी बलकान के एक कोने में सुलगी

थी। इसलिये इगलिस्तान और फ्रास ने छोटी कौमों के अधिकारों के नारे लगाने शुरू कर दिये थे। फिर पुण्यस्मृति प्रेजिडेण्ट विल्सन के १४ प्वाइट दुनिया के सामने आए। उनका जो कुछ नतीजा हुआ दुनिया को मालूम है। इस बार परिस्थिति दूसरी थी। पिछली लडाई के बाद इगलिस्तान और फ्रास ने जीत के नशे में जो रवइया अखित्यार किया था उसका कुदरती नतीजा यह था कि एक नई प्रतिक्रिया शुरू हो जाय। वह शुरू हुई। उसी ने इटली में फासीइज्म और जर्मनी में नाजीइज्म का रूप लिया और पाश्विक शक्ति के बल पर डिक्टेटरशिप यानी एक आदमी की अमित और अनन्य सत्ता दुनिया की शान्ति और आजादी को ललकारने लगी। जब यह परिस्थिति पैदा हुई तो स्वाभाविक था कि दो नए दल दुनिया में एक दूसरे के ग्रामने सामने आ खड़े हो। एक जनतत्र और आजादी का साथ देनेवाला दल और दूसरा प्रतिक्रियावादी ताकतों का साथ देनेवाला। इस प्रकार लडाई का एक नया नक्शा बनना शुरू हो गया। मिस्टर चेम्बरलेन की गवरमेंट, जिसके लिये फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी से कहीं ज्यादा सोवियट रूस का अस्तित्व असह्य था और जो सोवियट रूस को ब्रिटिश साम्राज्य के लिये एक जिन्दा ललकार समझती थी, तीन वरस तक इस दृश्य का तमाशा देखती रही। इतना ही नहीं बल्कि इगलिस्तान ने अपने व्यवहार से खुले तौर पर फासिस्ट और नाजी ताकतों के हौसले बढ़ाए। अबीसीनिया, स्पेन, आस्ट्रिया, जीकोस्लोवेकिया और अल्बानिया के अस्तित्व एक के बाद एक दुनिया के नक्शे से मिट्टे गये और ब्रिटिश गवरमेंट ने अपनी डगमगाती हुई पालिसी से उन्हे दफन करने में बराबर मदद दी। किन्तु जब इन बातों का कुदरती नतीजा असली रूप में सामने आया और नाजी जर्मनी का कदम बेरोक आगे बढ़ने लगा तो ब्रिटिश गवरमेंट मजबूर होगई। उसे लडाई के मैदान में उतरना पड़ा। यदि अब भी न उतरती तो जर्मनी की ताकत ब्रिटिश साम्राज्य के लिये असह्य हो जाती। अब छोटी कौमों की आजादी के पुराने नारे की जगह जनतत्र, स्वाधीनता और विश्वव्यापी शान्ति के नए नारे बुलन्द किये गए और तमाम दुनिया इन आवाजों से गूँजने लगी। इन्हीं नारों की प्रतिध्वनि में इगलिस्तान और फ्रास ने

तीन सितम्बर को लडाई का एलान किया। और ससार की उन सब बेचैन आत्माओं ने जो यूरोप की नई प्रतिक्रियावादी ताकतों के पाश्विक बलप्रयोग और विश्वव्यापी अशान्ति के दुख से हैरान और परेशान हो रही थी इन लुभावने नारो पर कान लगा दिये!

कॉंग्रेस की माँग

तीन सितम्बर को लडाई का एलान हुआ। सात सितम्बर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा मे बैठक हुई। वर्किंग कमेटी ने सारी परिस्थिति पर गौर किया। कॉंग्रेस के वे सब एलान उसके सामने थे जो सन् ३६ से उस समय तक लगातार निकलते रहे थे। लडाई के एलान के बारे मे ब्रिटिश गवरमेट ने जो चलन अखित्यार किया था वह भी वर्किंग कमेटी की निगाहो से ओझल नहीं था। निस्सदेह यदि वर्किंग कमेटी कोई ऐसा फैसला कर देती जो उस परिस्थिति मे स्वाभाविक और न्यायानुकूल था तो कमेटी को बुरा नहीं कहा जा सकता था। किन्तु कमेटी ने पूरी अहतियात के साथ अपने दिल और दिमाग की निगरानी की। उसने समय के उन सब विचारों और उमगों की ओर से जो तेजी के साथ आगे बढ़ने का आग्रह कर रही थी अपने कानों को बद कर लिया। उसने मामले के सब पहलुओं पर पूरे धीरज के साथ मनन करके वह कदम उठाया जिसके बारे मे आज हिन्दुस्तान सर उठाकर दुनिया से कह सकता है कि उस परिस्थिति मे उसके लिये वही एक ठीक कदम था। उसने अपने सारे फैसले मुलतवी कर दिये। उसने ब्रिटिश गवरमेट के सामने यह माँग पेश की कि पहले ब्रिटिश गवरमेट अपना वह फैसला दुनिया के सामने रख दे जिस पर न केवल हिन्दुस्तान का बल्कि उन सब लोगों का फैसला निर्भर है जिनका उद्देश्य सारी दुनिया की शान्ति और न्याय है। यदि हिन्दुस्तान को इस लडाई मे शरीक होने का निमत्रण दिया गया है तो हिन्दुस्तान को मालूम होना चाहिये कि यह लडाई क्यों लड़ी जा रही है? उसका उद्देश्य क्या है? यदि मानव सहार के इस सबसे बड़े नाटक का भी वही

नतीजा निकलनेवाला नहीं है जो पिछली लड़ाई का निकल चुका है और यह लड़ाई यदि सचमुच इसीलिये लड़ी जा रही है कि आजादी, जनतत्र और शान्ति की एक नई व्यवस्था ससार के सामने पेश की जावे तो फिर निस्सदेह हिन्दुस्तान को यह माँग पेश करने का अधिकार है कि उसे बताया जावे कि खुद उसके भाग्य पर लड़ाई के इन उद्देश्यों का क्या असर पड़ेगा।

वर्किंग कमेटी ने इस माँग को एक विस्तृत एलान की सूरत में तैयार किया जो १४ सितम्बर को शाया हो गया। यदि मैं आशा करूँ कि यह एलान हिन्दुस्तान के नए राजनैतिक इतिहास में अपने लिये उचित स्थान चाहेगा तो मुझे विश्वास है कि मैं भावी इतिहास लेखक से कोई अनुचित आशा नहीं कर रहा हूँ। यह एलान सच्चाई और विवेक का एक सादा किन्तु अकाट्य उल्लेख है, जिसे केवल एक सशस्त्र ताकत का घमण्ड ही बेपरवाही के साथ ठुकरा सकता है। इस एलान की आवाज यद्यपि हिन्दुस्तान में बुलन्द हुई फिर भी वास्तव में वह केवल हिन्दुस्तान ही की आवाज नहीं थी। वह विश्वव्यापी मानवता की धायल उम्मीदों की चीख थी। २५ साल पहले दुनिया बरबादी और विनाश के एक सबसे बड़े काण्ड में जिसे इतिहास की निगाहे अभी तक देख सकती है भोक दी गई थी और केवल इस लिये भोक दी गई थी ताकि उसके बाद दुनिया उससे भी अधिक भयकर हत्या काण्ड की तैयारियों में लग जाय। निर्बल कौमों की आजादी, शान्ति की जिम्मेदारी और आत्म निर्णय (सेल्फ डिटर्मिनेशन) हथियारबन्दी की रोक थाम, अन्तर्राष्ट्रीय पचायत की स्थापना, और इसी तरह के और सब ऊँचे और लुभावने उद्देश्यों की पुकार से कौमों के कानों पर जांड़ किया गया। उनके दिलों में उम्मीदे जगाई गई। किन्तु अन्त में क्या नतीजा निकला? हर पुकार धोखा निकली। हर उम्मीद झूठी साबित हुई। हर चमत्कार स्वप्न बनकर रह गया। आज फिर कौमों को भेडों की तरह खून और आग की भयकरता में ढकेला जा रहा है। सत्य और विवेक के अस्तित्व तक से हमें इतना अधिक निराश हो जाना चाहिये कि हम मौत और बरबादी के तूफान में कूदने से पहले यह भी नहीं पूछ सकते कि यह सब क्यों हो रहा है? और स्वयं हमारे भाग्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

गवरमेंट का जवाब और कॉंग्रेस का पहला कदम

कॉंग्रेस की इस मौंग के जवाब में ब्रिटिश गवरमेंट की ओर से बयानों का एक सिलसिला शुरू हो गया जो कभी हिन्दुस्तान और कभी इगलिस्तान से निकलते रहे। इस सिलसिले की पहली कड़ी हिन्दुस्तान के वाइसराय का वह एलान था जो १७ अक्तूबर को दिल्ली से शाया हुआ। यह एलान शायद भारतीय सरकार के सरकारी साहित्य की उलझी हुई शैली और थका देनेवाले विस्तार का सबसे अच्छा और मुकम्मिल नमूना है। इसके सफो के सफे पढ़ जाने के बाद मुश्किल से इस बात का पता चलता है कि लडाई के उद्देश्य के लिये इगलिस्तान के प्रधान मंत्री की एक वक्तृता पढ़नी चाहिये जिसमें केवल यूरोप की शान्ति और यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय सबध के सुधार का जिक्र है। “जनतत्र” (डेमोक्रेसी) और “कौमों की आजादी” के शब्द इसमें ढूँढने से भी नहीं मिल सकते। जहाँ तक भारत का सबध है इस वक्तृता से हमें मालूम होता है कि ब्रिटिश गवरमेंट ने सन् १९१६ के कानून की भूमिका में अपनी जिस पालिसी का एलान किया था और जिसका नतीजा सन् ३५ के कानून के रूप में निकला, आज भी वही पालिसी उसके सामने है। उससे ज्यादा ब्रिटिश गवरमेंट और कुछ नहीं कह सकती।

१७ अक्तूबर, सन् १९३६ को वाइसराय का एलान शाया हुआ। २२ अक्तूबर को उस पर विचार करने के लिये वर्धा में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बिना किसी बहस के वर्किंग कमेटी इस नतीजे पर पहुँची कि यह जवाब उसे किसी तरह सन्तुष्ट नहीं कर सकता और अब उसे अपना वह फैसला बिना विलम्ब कर देना चाहिये जो उसने इस वक्त तक मुलतवी कर रखा था। जो फैसला कमेटी ने किया वह कमेटी के प्रस्ताव के शब्दों में यह है—

“जो परिस्थिति पैदा हो गई है उसमें कमेटी के लिये मुमकिन नहीं है कि वह ब्रिटिश गवरमेंट की साम्राज्य प्रेमी पालिसी को स्वीकार कर ले। यह कमेटी कॉंग्रेसी व्यारतों को आदेश देती है कि जो मार्ग अब हमारे सामने खुल गया है उसकी ओर बढ़ने के लिए पहला कदम हमें

यह उठाना चाहिये कि कॉग्रेसी वजीर अपने अपने सूबों की गवरमेंटों से इस्तीफा दे दे।”

इसके अनुसार आठ सूबों में वजारतों ने इस्तीफे दे दिये।

यह इस सिलसिले का प्रारम्भ था। अब देखना चाहिये कि यह सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है। हिन्दुस्तान के वाइसराय की एक विज्ञप्ति, जो ५ फरवरी को दिल्ली से शाया हुई और जिसमें उस बातचीत का सार बयान किया गया है जो महात्मा गान्धी से वाइसराय की हुई थी और फिर स्वयं महात्मा गान्धी का बयान, जो उन्होंने ६ फरवरी को शाया किया, सिलसिले की आखिरी कड़ियाँ समझी जा सकती हैं। वाइसराय की विज्ञप्ति का सार हम सबको मालूम है। ब्रिटिश गवरमेंट की यह पूरी इच्छा है कि भारतवर्ष जल्दी से जल्दी यानी परिस्थिति के लिहाज से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ब्रिटिश उपनिवेशों का रुतबा हासिल कर ले और बीच के जमाने की मुद्रत जहाँ तक मुमकिन हो कम की जाय। लेकिन अगरेज सरकार यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि बिना बाहर के हस्तक्षेप के हिन्दुस्तान को अपना शासन विधान, अपना कान्स्टीट्यूशन, स्वयं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, बनाने का अधिकार है, और हिन्दुस्तान अपने भाग्य का स्वयं फैसला कर सकता है। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश गवरमेंट हिन्दुस्तान के लिये आत्म निर्णय यानी सेल्फ डिटरमिनेशन का हक स्वीकार नहीं कर सकती।

वास्तविकता के एक स्पर्शमात्र से दिखावे का सारा जादू किस तरह तितर बितर हो गया। पिछले चार वर्ष से जनतत्र और आजादी की रक्षा के नारों से दुनिया गूँज रही थी। इंग्लिस्तान और फ्रास की सरकारों के बड़े से बड़े जिम्मेदार लोग इस विषय में जो कुछ कहते रहे हैं वह अभी इतना ताजा है कि उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। किन्तु ज्योही भारतवर्ष ने यह सवाल उठाया, सच्चाई को बेपरदा होकर सामने आ जाना पड़ा। अब हमें बताया जाता है कि कौमों की आजादी की रक्षा निस्सदेह इस लडाई का उद्देश्य है, किन्तु उसका क्षेत्र यूरोप की भौगोलिक सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। एशिया और अफरीका के बाशिन्दों

को यह दुस्साहस नहीं करना चाहिये कि वे भी उम्मीद की निगाहे उठाएँ। मिस्टर चेम्बरलेन ने २४ फरवरी को बर्मिंघम में वक्तृता देते हुए यह बात और भी ज्यादा साफ कर दी है, यद्यपि उनकी वक्तृता से पहले भी हमें इस विषय में कोई सन्देह नहीं था। उन्होंने हमारे लिये ब्रिटिश गवरमेंट के साफ साफ व्यवहार के साथ साथ साफ साफ शब्द भी मोहय्या कर दिये हैं। लड़ाई के ब्रिटिश उद्देश्यों का एलान करते हुए वह दुनिया को विश्वास दिलाते हैं कि—

“हमारी लड़ाई इसलिये है कि हम इस बात की जमानत ले ले कि यूरोप की छोटी कौमों की आजादी भविष्य में अनुचित अत्याचारों की धमकियों से बिलकुल सुरक्षित रहेगी।”

ब्रिटिश गवरमेंट का यह जवाब यद्यपि इस समय एक अगरेज की जबान से निकला है तो भी वास्तव में वह कोई खास अगरेजी चीज नहीं है। यह जवाब समस्त यूरोपियन महाद्वीप के उन आम विचारों को ठीक ठीक प्रकट कर रहा है जो लगभग दो सौ वर्ष से दुनिया के सामने रहे हैं। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक आजादी के जितने भी सिद्धात स्वीकार किये गए उन पर अमल कराने का हक केवल यूरोप की कौमों को प्राप्त है और यूरोप की कौमों में भी यह अधिकार ईसाई यूरोप के सकीर्ण क्षेत्र से कभी बाहर न जा सका। आज बीसवीं सदी के मध्य में ससार इतना बदल चुका है कि पिछली सदी के विचारों और व्यवहारों के नक्शे इतिहास की पुरानी कहानियों की तरह सामने आते हैं और उन निशानों की तरह दिखाई देते हैं जिन्हे हम बहुत दूर पीछे छोड़ आए। किन्तु हमें स्वीकार करना चाहिये कि कम से कम एक निशान अब भी पीछे नहीं छुट सका। अभी तक वह हमारे साथ साथ चल रहा है। वह है मानव अधिकारों के लिये यूरोप के अन्दर भेदभाव का निशान।

भारत के राजनैतिक और राष्ट्रीय अधिकारों के प्रश्न ने भी हमारे सामने ठीक इसी तरह का नक्शा पेश कर दिया है। हमने जब लड़ाई के एलान के बाद यह सवाल उठाया कि लड़ाई का उद्देश्य क्या है और हिन्दुस्तान की किस्मत

पर उसका क्या असर पड़नेवाला है तो हम इस बात से बेखबर नहीं थे कि सन् १७ और सन् १९ मे ब्रिटिश गवरमेंट की पालिसी क्या थी। हम जानना चाहते थे कि सन् ३६ के इस संसार मे, जो इस तेजी के साथ दौड़ रहा है और बदल रहा है कि दिनों के अन्दर सदियों की चाल पूरी कर रहा है, हिन्दुस्तान को ब्रिटिश गवरमेंट किस निगाह से देखना चाहती है। उसका दृष्टिकोण अब भी बदला है या नहीं। हमे साफ जवाब मिल गया कि नहीं बदला। ब्रिटिश गवरमेंट अब भी अपनी साम्राज्य पिपासा मे कोई परिवर्तन नहीं कर सकी। हमे विश्वास दिलाया जाता है कि ब्रिटिश गवरमेंट इस बात की बहुत अधिक इच्छुक है कि भारतवर्ष जहाँ तक सभव हो जल्दी उपनिवेशों का स्तब्दा यानी डोमीनियन स्टेट्स प्राप्त कर ले। हमे मालूम था कि ब्रिटिश गवरमेंट अपनी यह इच्छा प्रकट कर चुकी है। अब हमे यह बात मालूम हो गई कि वह इसकी “बहुत ज्यादा इच्छुक है।” किन्तु प्रश्न ब्रिटिश गवरमेंट की इच्छा और उस इच्छा के कम, ज्यादा या बहुत ज्यादा होने का नहीं है। साफ और सीधा प्रश्न भारतवर्ष के अधिकार का है। भारतवर्ष को यह अधिकार हासिल है या नहीं कि वह अपने भाग्य का स्वयं फैसला कर ले? इसी एक प्रश्न के उत्तर पर इस समय के सारे प्रश्नों का उत्तर निर्भर है। भारतवर्ष के लिये यह प्रश्न नीव की असली ईट है। वह इसे हिलने नहीं देगा। यदि यह हिल जाय तो भारतवर्ष के कौमी अस्तित्व की सारी इमारत हिल जायगी।

जहाँ तक लडाई का सबध है हमारे लिये परिस्थिति बिलकुल साफ हो गई। हम ब्रिटिश साम्राज्य का चेहरा इस लडाई के अन्दर भी उसी तरह साफ साफ देख रहे हैं जिस तरह हमने पिछली लडाई मे देखा था और हम इस बात के लिये तथ्यार नहीं हैं कि उसकी जीत के लिये लडाई मे हिस्सा ले। हमारा अभियोग बिलकुल स्पष्ट है। हम अपनी परतन्त्रता की आयु बढ़ाने के लिये ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक मजबूत और अधिक विजयी देखना नहीं चाहते। हम ऐसा करने से साफ़ साफ़ इनकार करते हैं। हमारा मार्ग निस्सदेह इसके ठीक विपरीत दिशा मे है।

हम आज कहाँ खड़े हैं ?

अब हम फिर उस जगह वापस आते हैं जहाँ से हम चले थे। हमने इस प्रश्न पर विचार करना चाहा था कि तीन सितम्बर वाले जग के एलान के बाद जो कदम हम उठा चुके हैं उसका रुख आगे को किस ओर है और आज हम कहाँ खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस समय हममें से हर एक के दिल में इस तरह साफ साफ उभर आया है कि अब उसे केवल जबान तक लाना बाकी है। यह जरूरी नहीं है कि आपके होठ हिले। मैं आपके दिलों को हिलता हुआ देख रहा हूँ। अनस्थायी सहयोग (को-आपरेशन) का जो कदम सन् १९३७में हमने उठाया था जग के एलान के बाद हमने वह वापस ले लिया। इसलिये कुदरती तौर पर हमारा रुख अब असहयोग (नान-को-आपरेशन) की तरफ है। हम आज उसी जगह खड़े हैं जहाँ हमें फैसला करना है कि उस रुख की ओर आगे बढ़े या पीछे हटे। जब कदम उठा दिया जाय तो वह रुक नहीं सकता। अगर रुकेगा तो पीछे हटेगा। हम पीछे हटने से इनकार करते हैं। हम केवल यही कर सकते हैं कि आगे बढ़े। जब मैं यह एलान करता हूँ कि हम आगे बढ़ेगे तो मुझे विश्वास है कि आप सबके दिलों की आवाज मेरी आवाज के साथ मिली हुई है।

आपसी समझौता

इस सबध में कुदरती तौर पर एक सवाल सामने आ जाता है। इतिहास हमें बताता है कि कौमों के सघर्ष में या उनकी खीचातानी में एक ताकत तभी अपना क्रब्जा छोड सकती है जब कि दूसरी ताकत उसे ऐसा करने पर विवश कर दे। विवेक और सदाचार के ऊँचे सिद्धात व्यक्तियों का व्यवहार बदलते रहेगे किन्तु अधिकार प्राप्त या प्रभुत्व प्राप्त कौमों की स्वार्थपरता पर वे कभी असर नहीं डाल सकें। आज भी बीसवीं सदी के मध्य में हम देख रहे हैं कि यूरोप की नई प्रति-क्रियावादी (रिएक्शनरी) कौमों ने किस तरह मनुष्य के व्यक्तिगत और

कौमी अधिकारों के तमाम सिद्धात उलट पुलट कर दिये और न्याय और विवेक के स्थान पर केवल पाश्विक बल की दलील ही फैसलों के लिये एक मात्र दलील रह गई है। किन्तु इसके साथ ही जब कि एक ओर चित्र का यह नैराश्यजनक पहलू हमारे सामने आ रहा है दूसरी ओर एक आशाजनक पहलू भी हमारे सामने है। हम देखते हैं कि ससार के असख्य जन समूहों की एक नई विश्वव्यापी जाग्रति बिना रग रूप का भेद किये बड़ी तेजी के साथ हर तरफ बढ़ रही है। यह जाग्रति दुनिया की पुरानी व्यवस्था की बुराइयों और नामुरादियों से ऊब गई है और विवेक, न्याय और शान्ति की नीव पर एक नई व्यवस्था कायम करने के लिये बेचैन है। दुनिया की यह नई जाग्रति जिसने पिछली लड़ाई के बाद से मानव आत्माओं की गहराइयों में करवट बदलना शुरू कर दिया था अब दिन प्रतिदिन दिमागों और जबानों की सतह पर उभर रही है और इस तरह उभर रही है कि शायद इतिहास में कभी नहीं उभरी। ऐसी अवस्था में क्या यह बात इमकान से बाहर थी कि इतिहास के पुराने फैसलों के विरुद्ध एक नया फैसला इतिहास में बढ़ाया जाता? क्या यह सभव नहीं था कि दुनिया की दो बड़ी कौमें जिन्हे कालचक्र ने शासक और शासित के सूत्र में बाँध दिया था, भविष्य के लिये विवेक, न्याय और शान्ति के सूत्रों द्वारा एक नया सबध एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिये तैयार हो जाती? यदि ऐसा हो सकता तो विश्वव्यापी शान्ति की ओर से निराशाएँ आशाओं के एक नए जीवन में बदल जाती। विवेक, और न्याय के युग का नया प्रभात ससार को एक नए सूरज का सदेश देने लगता। यदि आज अगरेज कौम सर उठाकर दुनिया से कह सकती कि उसने इतिहास में एक नई मिसाल कायम करने का सकल्प कर लिया है तो मानवता की यह कैसी अपूर्व और व्यापक विजय होती।

निस्सन्देह यह असम्भव नहीं है, मगर दुनिया की तमाम दुश्वारियों से कही दुश्वार है।

जमाने की चारों ओर फैली हुई अँधियारियों में मानव प्रकृति का यही एक रोशन पहलू है जो महात्मा गान्धी की महान् आत्मा को कभी थकने नहीं देता।

वह आपसी समझौते के दरवाजे में, जो उनके सामने खोला जाता है, अपनी स्थिति को जरा भी निर्बल अनुभव किये बिना, निस्सकोच कदम रखने के लिये तैयार हो जाते हैं।

ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के अनेक मेबरों ने लडाई के बाद ससार को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि ब्रिटिश साम्राज्य का पिछला युग समाप्त हो चुका और आज ब्रिटिश कौम केवल शान्ति और न्याय के उद्देश्यों को अपने सामने रखके हुए है। हिन्दुस्तान से बढ़कर और कौन सा देश हो सकता है जो आज किसी ऐसे एलान का स्वागत करता? किन्तु असलीयत यह है कि इन एलानों के बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य आज भी उसी तरह शान्ति और न्याय का मार्ग रोके खड़ा है जिस तरह लडाई से पहले खड़ा था। हिन्दुस्तान की माँग इस तरह के समस्त दावों के लिये एक सच्ची कसौटी थी। दावे कसौटी पर कसे गए और अपने सच्चे होने का हमें विश्वास न दिला सके।

हिन्दुस्तान का राजनैतिक भविष्य और अल्प संख्यक जातियाँ

जहाँ तक इस वक्त के असली सवाल का सबध है मुख्य बात केवल वही है जो मैंने थोड़े से मे आपके सामन रख दी है। पिछली सितम्बर मे जग के एलान के बाद जब कॉग्रेस ने अपनी माँग तय की उस समय हममे से किसी के वहम और गुमान मे भी यह बात नहीं थी कि इस स्पष्ट और सीधी सादी माँग के जवाब मे, जो हिन्दुस्तान के नाम पर की गई है और जिससे देश के किसी फिरके और किसी गिरोह को भी मतभेद नहीं हो सकता, साम्राज्यिक मसले का सवाल उठाया जा सकेगा। निस्सदेह मुल्क मे ऐसी जमानते मौजूद हैं जो राजनैतिक मैदान मे वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ तक कॉग्रेस पहुँच चुकी है और जो सत्याग्रह (डायरेक्ट एक्शन) के उस तरीके से जिसे, राजनैतिक हिन्दुस्तान ने बहुमत से स्वीकार कर लिया है, सहमत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुल्क की आजादी

को और उसके जन्मसिद्ध अधिकार को स्वीकार करने का सवाल है, इस देश में मानसिक जागृति अब इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्क का कोई गिरोह भी हमारे उद्देश का विरोध करने का साहस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वे जमानतें भी जो अपनी श्रेणी विशेष (क्लास) के हकों और हितों की रक्षा के लिये इस बात पर मजबूर हैं कि आजकल की राजनैतिक परिस्थिति में किसी तरह की तब्दीली न चाहे वे भी जमाने की हवा से बेबस हैं और उन्हे भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक लक्ष्य को स्वीकार करना पड़ता है। किन्तु समय की कसौटी ने जब कि परिस्थिति के दूसरे पहलुओं पर से परदा उठा दिया है वहाँ इस खास पहलू को भी हमारी नज़रों के सामने साफ जाहिर कर दिया है।

हिन्दुस्तान और इंगलिस्तान दोनों में, एक दूसरे के बाद, इस तरह की कोशिशों की गई कि हमारे इस समय के राजनैतिक सवाल को साम्प्रदायिक मसले के साथ मिलाकर उस सवाल के असली रूप को सदेह में डाल दिया जावे। बार बार दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि भारत के राजनैतिक प्रश्न के हल करने के मार्ग में अल्प सख्यक जातियों का मसला रुकावट है।

यदि पिछले डेढ़ सौ वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यशाही का यह तर्ज़े अमल रहा है कि मुल्क के बाशिन्दों के आपसी तफरकों को उभारकर उन्हे नई नई पक्षियों में बाँटा जावे और फिर उन पक्षियों को अपनी हुकूमत की मजबूती के लिये काम में लाया जाय, तो हमारे शासकों का ऐसा करना हमारी राजनैतिक पराधीनता का एक कुदरती नतीजा था और हमें इससे कोई फायदा नहीं हो सकता कि इसकी शिकायत करके अब हम अपने दिलों में कडवाहट पैदा करें। निस्सदेह कोई विदेशी हुकूमत किसी मुल्क के अन्दर एकता की इच्छुक नहीं हो सकती। मुल्क के अदर की फूट ही विदेशी हुकूमत की मौजूदगी के लिये सबसे बड़ी जमानत है। लेकिन इस जमाने में जब कि दुनिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिशों की जा रही है कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास का पिछला दौर समाप्त हो चुका, निस्सदेह हमारा ब्रिटिश राज-

नीतिज्ञो से यह आशा करना बहुत अधिक अनुचित नहीं था कि कम से कम इस एक मामले में वह अपने व्यवहार को अपनी अब तक की मानसिक प्रवृत्तियों से अलग करने की कोशिश करेगे। किन्तु पिछले पाँच महीने की घटनाओं ने साबित कर दिया कि अभी इस तरह की आशा करने का समय नहीं आया और जिस दौर के विषय में दुनिया को विश्वास दिलाया जा रहा है कि वह समाप्त हो चुका वह वास्तव में अभी जारी है।

जो भी हो, हमारी समस्याएँ चाहे किसी तरह भी पैदा हुई हो, हम स्वीकार करते हैं कि दुनिया के और सब मुल्कों की तरह हिन्दुस्तान के सामने भी अपने अन्दर की समस्याएँ हैं और इन समस्याओं में एक खास समस्या साम्राज्यिक समस्या यानी फिरकेवाराना मसला है। हम ब्रिटिश हुकूमत से यह आशा नहीं रखते और न हमे आशा रखनी चाहिये कि वह इस मसले के अस्तित्व को नजर अन्दाज़ करेगी। यह मसला है, और अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि इसके अस्तित्व को मानकर कदम उठाए। हम स्वीकार करते हैं कि हर कदम जो हम इस समस्या की ओर से बेपरवाह होकर उठाएंगे निस्सदेह गलत कदम होगा। लेकिन फिरकेवाराना मसले के अस्तित्व को स्वीकार करना एक अलग बात है। इसका यह मतलब नहीं होना चाहिये कि इस मसले को हिन्दुस्तान के कौमी हक, यानी हमारे राष्ट्रीय अधिकार, के खिलाफ एक शस्त्र की तरह काम में लाया जावे। ब्रिटिश साम्राज्यशाही इस मसले से हमेशा यही गलत काम लेती रही है। यदि अब वह अपने भारतीय इतिहास का पिछला दौर खत्म करना चाहती है तो उसे जानना चाहिये कि सबसे पहली बात जिसमें हम कुदरती तौर पर इस तब्दीली की भलक देखना चाहते हैं वह इसी मसले में उसका रवैश्या है।

कॉंग्रेस ने साम्राज्यिक समस्या के बारे में अपने लिये जो जगह बनाई है वह क्या है? कॉंग्रेस का पहले दिन से दावा रहा है कि वह सारे हिन्दुस्तान को समष्टि रूप से अपने सामने रखती है और जो कदम भी उठाना चाहती है पूरी हिन्दुस्तानी कौम के नाम पर और उसी के लिये उठाना चाहती है। हम

स्वीकार करते हैं कि कॉग्रेस ने यह दावा करके दुनिया को इस बात का अधिकार दे दिया है कि वह जितनी बेरहमी के साथ चाहे कॉग्रेस के दोष निकाले और इस बारे मे काग्रेस के तर्जे अमल को परखे और काग्रेस का कर्तव्य है कि इस तरह की परख मे अपने की कामयाब साबित करे। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का यह पहलू सामने रखकर हम आज काग्रेस के तर्जे अमल पर नए सिरे से निगाह डाले।

मैं अभी आपसे कह चुका हूँ कि इस बारे मे कुदरती तौर पर तीन बातें सामने आ सकती हैं,—साम्प्रदायिक समस्या का अस्तित्व, उसका महत्व और उसके फैसले का ढग या तरीका।

कॉग्रेस का पूरा इतिहास इस बात की गवाही देता है कि उसने इस मसले के अस्तित्व को हमेशा स्वीकार किया है। उसने इसके महत्व को घटाने की भी कभी कोशिश नहीं की। इसके फैसले के लिये काग्रेस ने वही तरीका इस्तेमाल किया जिससे ज्यादा सन्तोषजनक तरीका इस बारे मे कोई नहीं बतलाया जा सकता। और यदि बतलाया जा सकता है तो उसे अपनाने मे काग्रेस के दोनों हाथ हमेशा बढ़े रहे हैं और आज भी बढ़े हुए हैं।

इस मसले के महत्व को समझने का हमारे ऊपर इससे ज्यादा क्या असर हो सकता था कि उसके हल को हम हिन्दुस्तान के कौमी मकसद, उसके राष्ट्रीय लक्ष्य की सफलता के लिये सबसे पहली शर्त स्वीकार करे। मैं इस बात को एक ऐसी सच्चाई के तौर पर पेश कर रहा हूँ जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कॉग्रेस का हमेशा यही अकीदा, यही विश्वास रहा है।

कॉग्रेस ने इस बारे मे हमेशा दो बुनियादी उसूल अपने सामने रखे हैं और जब कभी कोई कदम उठाया तो इन दोनों उसूलों को साफ साफ और पूरी तरह मान कर उठाया—

(१) पहला यह कि हिन्दुस्तान का जो भी कान्स्टीट्यूशन, शासन विधान या दस्तूरे असासी आइन्दा बनाया जावे उसमे अल्पसंख्यक जातियों के हक्कों और हितों की पूरी जमानत होनी चाहिये।

(२) दूसरा यह कि अल्पसख्यक जातियों के हकों और हितों के लिये किन किन सरक्षणों यानी 'सेफगार्ड्स' की जरूरत है, इस बात का फैसला स्वयं अल्पसख्यक जातियाँ ही करेगी, बहुसख्यक जातियाँ नहीं करेगी। इसलिये सरक्षणों का फैसला अल्पसख्यक जातियों की रजामन्दी से होना चाहिये।

अल्पसख्यक जातियों का प्रश्न केवल हिन्दुस्तान ही की कोई विशेषता नहीं है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी यह प्रश्न रह चुका है। मैं आज इस जगह से दुनिया को मुख्यातिब करने का साहस करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे भी ज्यादा कोई साफ और बेलाग तर्जे अमल इस बारे में अस्थिर किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वह क्या है? क्या इस तर्जे अमल में कोई भी ऐसी कमी रह गई है जिसकी बिना पर कॉग्रेस को उसका कर्तव्य याद दिलाने की जरूरत हो? कॉग्रेस अपने कर्तव्य-पालन की कमियों पर गौर करने के लिये सदा तैयार रही है और आज भी तैयार है।

मैं १६ वर्ष से कॉग्रेस में हूँ। इस तमाम अरसे में कॉग्रेस का कोई महत्व-पूर्ण फैसला ऐसा नहीं हुआ जिसके तरतीब देने में मुझे शारीक होने की इज्जत हासिल न रही हो। मैं कह सकता हूँ कि इस १६ वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा जब कॉग्रेस ने इस मसले का फैसला इसके सिवा और किसी भी तरीके से करने का ख्याल तक किया हो। यह न केवल कॉग्रेस का एलान ही था बल्कि उसका पक्का और निश्चित मार्ग था। पिछले १५ साल के अन्दर बार बार इस मार्ग में कड़ी से कड़ी परीक्षाएं उसके सामने आईं। किन्तु यह चट्टान अपनी जगह से कभी न हिल सकी।

आज भी कॉग्रेस ने कास्टिटुएण्ट असेम्बली के सिलसिले में (यानी सारे देश की उस बड़ी पचायत के सिलसिले में जिसके लिये सदस्य चुनने का हर बालिग हिन्दुस्तानी को हक होगा) इस मसले को जिस तरह हल किया है वह इस बात के लिये काफी है कि ऊपर के दोनों उसूलों को उनकी ज्यादा से ज्यादा साफ शब्द में देख लिया जाय। मानी हुई अल्पसख्यक जातियों को यह हक्

हासिल है कि वह यदि चाहे तो सिर्फ अपनी वोटो से अपने नुमाइन्दो को चुन कर भेजे। उनके नुमाइन्दो के कन्धों पर ग्रपने फिरके के वोटों के सिवाय और किसी की वोटों का बोझ न होगा। जहाँ तक अल्पसंख्यक जातियों के हकों या हितों का सवाल है उनका फैसला असेम्बली के बहुमत से नहीं होगा बल्कि खुद अल्पसंख्यक जातियों की रजामन्दी से होगा, और अगर किसी मसले में इत्तफाक न हो सकेगा तो किसी ऐसी निष्पक्ष पचायत के जरिये फैसला कराया जा सकता है जिसे अल्पसंख्यक जातियों ने भी स्वीकार कर लिया हो।

आखिरी बात यानी निष्पक्ष पचायत की तजवीज केवल एक अहतियाती पेशबन्दी है। नहीं तो इस बात की बहुत कम सभावना है कि इसकी जरूरत तक हो। यदि इसकी जगह कोई दूसरी मुनासिब तजवीज सुझाई जा सके तो उसे अस्तियार किया जा सकता है।

यदि काग्रेस ने अपने तर्जे अमल के लिये यह असूल सामने रख लिये हैं और उन असूलों पर कायम रहने की काग्रेस पूरी कोशिश कर चुकी है और कर रही है तो फिर इसके बाद कौन सी चीज रह गई है जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को इस बात पर मजबूर करती है कि वे हमें बार बार अल्पसंख्यक जातियों के हकों के मसले की याद दिलाएँ और दुनिया को इस भ्रान्ति में डाले कि हिन्दुस्तान के मसले के रास्ते में अल्प संख्यक जातियों का मसला एक रुकावट पेश कर रहा है? यदि वास्तव में इसी मसले की वजह से रुकावट पेश आ रही है तो क्यों ब्रिटिश हुकूमत हिन्दुस्तान के राजनैतिक भाग्य का साफ साफ एलान करके हमें इसका मौका नहीं दे देती कि हम सब मिलकर बैठे और आपसी रजामन्दी से इस मसले का हमेशा के लिये फैसला कर ले?

हममें तफरके पैदा किये गए और हमें इलजाम दिया जाता है कि हममें तफरके हैं। हमें तफरकों के मिटाने का मौका नहीं दिया जाता और हमसे कहा जाता है कि हमें तफरके मिटाने चाहिये।

यह परिस्थिति है जो हमारे चारों ओर पैदा कर दी गई है। ये बन्धन हैं जो हमें हर तरफ से जकड़े हुए हैं। किन्तु इस तरह की कोई भी दिक्कत या

दुश्वारी हमे इससे नहीं रोक सकती कि हम कोशिश और हिम्मत का क़दम आगे बढ़ाएँ। हमारा सारा मार्ग ही दुश्वारियों का मार्ग है और हमे हर दुश्वारी पर विजय प्राप्त करनी है।

हिन्दुस्तान के मुसलमान और हिन्दुस्तान का भविष्य

यह हिन्दुस्तान की अल्पसख्यक जातियों का मसला था। लेकिन क्या हिन्दुस्तान में मुसलमानों की हैसियत एक ऐसी अल्प सख्यक जाति की हैसियत है जो अपने भविष्य को भय और आशका की नजर से देख सकती है और वे तमाम शकाएँ अपने सामने ला सकती हैं जो कुदरती तौर पर एक अल्पसख्यक जाति के मस्तिष्क को बेचैन कर देती हैं?

मुझे नहीं मालूम आप लोगों में कितने आदमी ऐसे हैं जिनकी नजर से मेरे वे लेख गुजर चुके हैं जो आज से २८ साल पहले मैं “अल हिलाल” के पृष्ठों पर लिखता रहा हूँ। यदि कुछ लोग भी ऐसे मौजूद हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे अपनी याद ताजा कर लें। मैंने उस जमाने में भी अपना यह विश्वास प्रकट किया था और उसी तरह आज भी करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की राजनैतिक समस्याओं में कोई भी बात इतनी ज्यादा गलत नहीं है जितनी यह कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों की हैसियत राजनैतिक दृष्टि से एक अल्पसख्यक जाति की हैसियत है, और इसलिये उन्हे आज्ञाद और जम्हूरी यानी जनतत्रात्मक हिन्दुस्तान में अपने हक्कों और हितों की ओर से सशक्त रहने की जरूरत है। इस एक बुनियादी गलती ने बेशुमार गलत फहमियों के पैदा होने का दरवाजा खोल दिया। गलत बुनियादों पर गलत दीवारे चुनी जाने लगी। नतीजा यह हुआ कि एक तरफ तो खुद मुसलमानों को अपनी असली हैसियत के बारे में सदेह होने लगा और दूसरी तरफ दुनिया एक ऐसी गलत फहमी में पड़ गई जिसके बाद वह हिन्दुस्तान और उसकी वर्तमान परिस्थिति को ठीक ठीक नहीं देख सकती। यदि समय होता तो मैं आपको विस्तार के साथ बताता कि इस मामले की

यह गलत और बनावटी शक्ति पिछले साठ बरस के अन्दर क्योंकर ढाली गई और किन हाथों ने उसे ढाला । वास्तव में यह भी उसी फूट डालने वाली पालिसी की उपज है जिसका नक़शा इण्डियन नैशनल काग्रेस की तहरीक के शुरू होने के बाद हिन्दुस्तान के सरकारी दिमागों में बनना शुरू हो गया था और जिसका उद्देश यह था कि मुसलमानों को इस नई राजनैतिक जागृति के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिये तैयार किया जाय । इस नक्शे में दो बातें खास तौर पर उभारी गई थीं । एक यह कि हिन्दुस्तान में दो अलग अलग कौमें आबाद हैं । एक हिन्दू कौम है और एक मुसलमान कौम है । इसलिये हिन्दुस्तान के लोग मुत्तहिदा कौमीयत यानी सयुक्त राष्ट्रीयता के नाम पर कोई मतालबा यानी माँग पेश नहीं कर सकते । दूसरी यह कि मुसलमानों की तादाद हिन्दुओं के मुकाबले में बहुत कम है इसलिये यहाँ जनतत्रात्मक स्थानों (डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स) के कायम होने का जरूरी नतीजा यह होगा कि बहुसंख्यक हिन्दुओं की हुकूमत कायम हो जायगी और मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में पड़ जायगा । मैं इस वक्त और ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा । मैं आपको सिर्फ इतनी बात याद दिला दूँगा कि यदि इस मामले का शुरू का इतिहास मालूम करना चाहते हैं तो आपको हिन्दुस्तान के एक पिछले वायसराय लार्ड डफरिन और पश्चिमोत्तर प्रान्त के, जिसे अब सयुक्त प्रान्त कहते हैं, एक पिछले लेफ्टेनेण्ट गवर्नर सर आकलैण्ड कालविन के जमाने की तरफ लौटना चाहिये ।

ब्रिटिश साम्राज्य ने हिन्दुस्तान की सर जमीन में समय समय पर जो बीज बोए उनमें से एक बीज यह था । इसमें तुरन्त फूल पत्ते फूट आए और यद्यपि पचास साल बीत चुके फिर भी अभी तक इसकी जड़ों की नमी खुशक नहीं हुई ।

राजनैतिक भाषा में जब कभी ‘अल्पसंख्यक जाति’, ‘अकल्लियत’ या ‘माइनारिटी’ ये शब्द बोले जाते हैं तो इनका यह मतलब नहीं होता कि मामूली गणित के हिसाब के कायदे से मनुष्यों की हर ऐसी संख्या जो एक दूसरी संख्या से कम हो जरूरी तौर पर ‘माइनारिटी’ होती है और उसे अपनी रक्षा की ओर से आशका या घबराहट होनी चाहिये । बल्कि इन शब्दों से मतलब एक ऐसी

कमज़ोर जमाअत का है जो तादाद और सलाहियत यानी सख्या और क्षमता दोनों की दृष्टि से अपने को इस योग्य नहीं पाती कि एक बड़े और ताकतवर गिरोह के साथ रहकर अपनी रक्षा के लिये खुद अपने ऊपर भरोसा कर सके। इसके लिये केवल यही काफी नहीं है कि एक गिरोह सख्या में दूसरे गिरोह से कम हो बल्कि यह भी ज़रूरी है कि उसकी अपनी सख्या खुद भी कम हो और इतनी कम हो कि उससे अपनी रक्षा की आशा न की जा सके। सख्या यानी नबरो के साथ साथ इसमें उस गिरोह की अपनी विशेषता का सवाल भी काम करता है। फर्ज कीजिये एक मुल्क में दो गिरोह मौजूद हैं, एक की सख्या एक करोड़ है दूसरे की दो करोड़। अब एक करोड़ दो करोड़ का आधा है और दो करोड़ से कम है मगर राजनैतिक दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है कि केवल इसी अनुपात के फर्क की बिना पर हम उसे एक माइनारिटी फर्ज करके उसके अस्तित्व को कमज़ोर स्वीकार कर ले। इस तरह की माइनारिटी या अल्पसख्यक जाति होने के लिये सख्या के अनुपात के फर्क के साथ साथ दूसरी बातों का होना भी ज़रूरी है।

अब जरा गौर कीजिये कि इस दृष्टि से हिन्दुस्तान में मुसलमानों की असली हैसियत क्या है? आपको देर तक गौर करने की ज़रूरत न होगी। आप केवल एक निगाह में देख लेगे कि आपके सामने एक बहुत बड़ा गिरोह अपनी इतनी बड़ी और फैली हुई सख्या के साथ सर उठाए खड़ा है कि उसके विषय में माइनारिटी या 'अल्पसख्या' की कमज़ोरियों का गुमान भी करना अपनी निगाह को साफ धोखा देना है।

उसकी सख्या इस देश में सब मिलाकर आठ से नौ करोड़ के अन्दर है। यह सख्या देश की दूसरी जमाअतों की तरह पेशों के लिहाज से और पैतृक दृष्टि से टुकड़ों या जातों में बँटी हुई नहीं है। इसलामी जिन्दगी के समता के असूल ने और इसलाम की बिरादराना यकजेहती के मज़बूत रिश्ते ने इस सख्या को पेशों के तफरकों की कमज़ोरियों से बहुत दरजे तक बचा रखा है। यह सच है कि यह सख्या मुल्क की पूरी आबादी का एक चौथाई से ज्यादा नहीं है, लेकिन सवाल सख्या के अनुपात का नहीं है बल्कि खुद सख्या या उसकी विशेषता का है। क्या

मनुष्यों की इतनी बड़ी सख्त्या के लिये इस तरह की आशकाओं की कोई जायज्ञ वजह हो सकती है कि वह एक स्वाधीन और जनतत्रात्मक (डेमोक्रेटिक) हिन्दुस्तान में अपने हकों या हितों की खुद रक्षा न कर सकेगी ?

यह सख्त्या मूल्क के किसी एक हिस्से में सिमटी हुई नहीं है बल्कि एक खास बटवारे के साथ मूल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है। हिन्दुस्तान के ११ प्रान्तों में से चार ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की सख्त्या ज्यादा है यानी जहाँ उनकी 'अक्सरीयत' यानी मेजारिटी है और जहाँ दूसरी मजहबी जमातें अल्पसख्त्या यानी माइनारिटी में हैं। यदि इसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान को भी जोड़ लिया जावे तो चार की जगह मुसलिम 'अक्सरीयत' के पांच प्रान्त हो जायेंगे। यदि हम अभी इस बात के लिये मजबूर हैं कि मजहबी तफरके की बिना पर ही 'मेजारिटी' और 'माइनारिटी' की कल्पना करते रहे तो भी इस कल्पना में मुसलमानों की जगह केवल एक 'माइनारिटी' की देखाई नहीं देती। वह अगर सात सूबों में माइनारिटी की हैसियत रखते हैं तो पांच सूबों में उन्हें मेजारिटी की जगह हासिल है। ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं कि उन्हें एक माइनारिटी गूप्त होने का ख्याल बेचैन करे।

हिन्दुस्तान का भावी कान्स्टीट्यूशन यानी शासन विधान और बातों में चाहे कैसा भी हो मगर उसकी एक बात हम सबको मालूम है। वह यह कि वह विधान पूरे अर्थों में एक आल इडिया फेडरेशन का जनतत्रात्मक विधान होगा जिसके तमाम अलग अलग हल्के या यूनिट अपने अपने भीतरी मामलों में खुद-मुख्तार होगे और फेडरल केन्द्र के सपुर्द केवल वही मामले रहेंगे जिनका सबध सारे देश के व्यापक और सयुक्त प्रश्नों से होगा—मिसाल के लिये दूसरे देशों के साथ सबध (फारन अफेर्स), देश-रक्षा (डिफेंस), जहाजी चुगी (कस्टम) वगैरह। ऐसी हालत में क्या यह मुमकिन है कि कोई भी समझदार आदमी जो किसी जनतत्रात्मक विधान के पूरी तरह अमल में आने और चलने का नक्शा थोड़ी देर के लिये भी अपने सामने ला सकता हो उन आशकाओं को स्वीकार करने के लिये तैयार होगा जिन्हे मेजारिटी और माइनारिटी के इस फरेब से

भरे हुए सवाल ने पैदा करने की कोशिश की है? मैं एक क्षण के लिये भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि हिन्दुस्तान के भावी चित्र में इन आशकाओं के लिये कोई जगह निकल सकती है। वास्तव में ये सब आशकाएँ इसलिये पैदा हो रही हैं कि एक ब्रिटिश नीतिज के मशहूर शंदो में जो, उसने आयरलैण्ड के विषय से कहे थे, हम अभी तक दरिया के किनारे पर खड़े हैं और यद्यपि तैरना चाहते हैं मगर दरिया में नहीं उतरते। इन आशकाओं का केवल एक ही इलाज है वह यह कि हमें दरिया में निश्चक और निर्भय होकर कूद पड़ना चाहिये। ज्योही हमने ऐसा किया हम मालूम कर लेगे कि हमारी तमाम आशकाएँ बेबुनियाद और निस्सार थीं।

हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिये एक बुनियादी सवाल

लगभग तीस बरस हुए मैंने एक हिन्दुस्तानी मुसलमान की हैसियत से इस मसले पर पहली बार गौर करने की कोशिश की थी। यह वह जमाना था जबकि मुसलमानों की वहुत बड़ी तादाद राजनैतिक सघर्ष के मेदान से बिलकुल तटस्थ थी और आम तौर पर वही विचार चारों ओर छाए हुए थे जिनकी वजह से कुछ मुसलमानों ने सन् १८८८ में काग्रेस से अलहदा रहने और उसकी मुख्याल-फत करने का इरादा कर लिया था। उस समय की यह आम हवा मेरे सोच विचार की राह न रोक सकी। मैं बहुत जल्दी एक आखिरी नतीजे तक पहुँच गया, जिसने मेरे सामने विश्वास और व्यवहार, दोनों का मार्ग खोल दिया। मैंने देखा कि हिन्दुस्तान अपनी सारी परिस्थिति के साथ हमारे सामने मौजूद है और अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हम भी इसी किश्ती में सवार हैं और उसकी चाल से बेपरवाह नहीं रह सकते। इसलिये जरूरी है कि हम अपने व्यवहार यानी अपने तर्जे अमल का एक साफ और अन्तिम फैसला कर लें। यह फैसला हम क्योंकर कर सकते हैं? केवल इस तरह कि हम मामले की ऊपरी सतह पर ही न रहे बल्कि उसकी बुनियादों तक पहुँचने की कोशिश करे और

फिर देखे कि हम अपने आपको किस हालत में पाते हैं। मैंने ऐसा ही किया और देखा कि इस सारे मामले का फैसला केवल एक सवाल के जवाब पर निर्भर है। वह सवाल यह है कि हम हिन्दुस्तानी मुसलमान हिन्दुस्तान के स्वाधीन भविष्य को आशका और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं या हिम्मत और आत्म विश्वास की दृष्टि से? यदि पहली सूरत है तो निस्सदेह हमारा मार्ग विलकुल ढूमना हो जाता है। सनय का कोई एलान, भविष्य के लिये कोई वादा, या विवान का कोई सरबजग फिर हमारी आशका और हमारे भय का वास्तविक इलाज नहीं हो सकता। हम मजबूर हो जाते हैं कि किसी तीसरी ताकत की मौजूदगी बरदाश्त करें। यह तीसरी ताकत मौजूद है और अपनी जगह छोड़ने के लिये तैयार नहीं है और हमें भी यही ख्वाहिश रखनी चाहिये कि वह अपनी जगह न छोड़ सके। किन्तु यदि इसके बिनाफ हम यह महसूस करते हैं कि हमारे लिये भय और आशका की कोई वजह नहीं, हमें हिम्मत और आत्म विश्वास की दृष्टि में भविष्य की ओर देखना चाहिये तो फिर हमारे कर्तव्य का मार्ग विलकुल साफ हो जाता है। हम फिर अपने आपको विलकुल एक दूसरी दुनिया में पाने लगते हैं जहाँ आशका, द्विविधा, अकर्मण्यता और प्रतीक्षा की परछाही भी नहीं पड़ सकती, विश्वास, दृढ़ता, कर्तव्यपालन और सरगरमी का सूरज जहाँ कभी नहीं डूब सकता; वक्त का कोई उलझाव, परिस्थिति का कोई उतार चढाव, मामलों की कोई चुभन हमारे कदमों का रुख नहीं बदल सकती। फिर हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय लक्ष्य के मार्ग में कदम उठाए आगे को बढ़े चले।

मुझे इस सवाल का जवाब मालूम करने में जरा भी देर नहीं लगी। मेरे दिल के एक एक तार एक एक रेशे ने पहली हालत से इनकार किया। मेरे लिये असभव था कि इसकी 'कल्पना' भी कर सकूँ। मैं किसी मुसलमान के लिये, बशर्ते कि उसने इस्लाम की रुह को, उसकी आत्मा को, अपने दिल के एक एक कोने से ढूँढकर निकाल न फेका हो, यह मुमकिन नहीं समझता कि, वह अपने को पहली हालत में देखना बरदाश्त कर सके।

मैंने सन् १९१२ में 'अलहिलाल' जारी किया और अपना यह फैसला मुसलमानों के सामने रखा। आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी आवाज़ खाली नहीं गई। सन् १९१२ से १९१६ तक का जमाना हिन्दुस्तान के मुसलमानों की नई राजनैतिक करवट का जमाना था। सन् १९२० के आखीर में जब चार बरस की नजरबन्दी के बाद मैं रिहा हुआ तो मैंने देखा कि मुसलमानों के राजनैतिक विचार अपना पिछला सॉचा तोड़ चुके हैं और नया सॉचा ढल रहा है। इस घटना को अब बीस बरस गुजर चुके। इस अरसे में तरह तरह के उतार चढ़ाव होते रहे। घटनाओं की नई नई बाढ़े आईं। विचारों की नई नई लहरे उठीं। किन्तु एक हकीकत बिना किसी परिवर्तन के अब तक कायम है। मुसलमानों की आम राय पीछे लौटने के लिये तैयार नहीं है।

हाँ, वह अब पीछे लौटने के लिये तैयार नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के मार्ग के विषय में उसको फिर सदेह हो रहा है। मैं इस समय इस परिस्थिति के कारणों पर बहस न करूँगा। मैं केवल नतीजे देखने की कोशिश करूँगा। मैं अपने हम मजहबों को याद दिलाऊँगा कि सन् १९१२ में मैंने जिस जगह से उन्हें मुखातिब किया था आज भी मैं उसी जगह खड़ा हूँ। इस तमाम बीच के समय ने स्थितियों का जो ढेर हमारे सामने खड़ा कर दिया है उनमें कोई स्थिति ऐसी नहीं जो मेरे सामने से न गुजरी हो। मेरी आँखों ने देखने में और मेरे दिमाग ने सोचने में कभी कसर नहीं की। स्थितियाँ केवल मेरे सामने से गुजरी ही नहीं हैं मैं उनके अन्दर खड़ा रहा हूँ और मैंने एक एक स्थिति को जाँचा और पड़ताला है। मैं मजबूर हूँ कि मैं अपनी आँखों से देखे हुए और अपनी अकल से समझे हुए को न झुठलाऊँ।

मेरे लिये असभव है कि अपने विश्वास से लड़ सकूँ। मैं अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ को नहीं दबा सकता। मैं इस तमाम अरसे में उनसे कहता रहा हूँ और आज भी उनसे कहता हूँ कि हिन्दुस्तान के नौ करोड़ मुसलमानों के लिये केवल एक यही कर्तव्यपथ हो सकता है जिसकी ओर मैंने उन्हे सन् १९१२ में दावत दी थी।

मेरे जिन हम मजहबों ने सन् १९१२ में मेरी बात को अपनाया था लेकिन आज जिन्हे मुझसे मतभेद है उन्हे मैं इसके लिये बुरा नहीं कहूँगा। किन्तु मैं उनसे अपील करूँगा कि वे इस प्रश्न पर निष्पक्ष होकर और गभीरता के साथ विचार करें। यह कौमों और मुल्कों की किस्मतों का मामला है। हम इसे समय की क्षणिक भावनाओं के बहाव में बहकर तय नहीं कर सकते। हमें जिन्दगी की ठोस हकीकतों की बिना पर अपने फैसलों की दीवारे तामीर करनी है। ऐसी दीवारे रोज बनाई और रोज ढाई नहीं जा सकती। मैं स्वीकार करता हूँ कि बदकिस्मती से वायुमण्डल इस समय गर्द से भरा हुआ है। मगर उन्हे हकीकत की रोशनी में आना चाहिये। वह आज भी हर पहलू से मामले पर गौर कर ले। वह इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि कर्तव्य का उनके सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

मुसलमान और संयुक्त राष्ट्रीयता

मैं मुसलमान हूँ और गर्व के साथ अनुभव करता हूँ कि मुसलमान हूँ। इसलाम की तेरह सौ बरस की शानदार इतिहास मेरी पैतृक सपत्ति है। मैं तैयार नहीं हूँ कि इसका कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी नष्ट होने दूँ। इसलाम की तालीम, इसलाम का इतिहास, इसलाम के इल्म और फन और इसलाम की तहजीब मेरी पूँजी है और मेरा फर्ज है कि उसकी रक्षा करूँ। मुसलमान होने की हैसियत से मैं अपने मजहबी और कलचरल दायरे में अपना एक खास अस्तित्व रखता हूँ और मैं बरदाशत नहीं कर सकता कि इसमें कोई हस्तक्षेप करे। किन्तु इन तमाम भावनाओं के अलावा मेरे अन्दर एक और भावना भी है जिसे मेरी जिन्दगी की 'रिएलिटीज' यानी हकीकतों ने पैदा किया है। इसलाम की आत्मा मुझे उससे नहीं रोकती, बल्कि मेरा मार्ग प्रदर्शन करती है। मैं अभिमान के साथ अनुभव करता हूँ कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ। मैं हिन्दुस्तान की अविभिन्न संयुक्त राष्ट्रीयता (नाकाबिले तकसीम मुत्तहिदा कौमीयत) का एक

अश हूँ। मैं इस सयुक्त राष्ट्रीयता का एक ऐसा महवत्पूर्ण अश हूँ, उसका एक ऐसा टुकड़ा हूँ जिसके बिना उसका महत्व अधूरा रह जाता है। मैं इसकी बनावट का एक जरूरी हिस्सा हूँ। मैं अपने इस दावे से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता।

हिन्दुस्तान के लिये प्रकृति का यह फैसला हो चुका था कि इस सर जमीन में मनुष्य की मुख्नलिफ नसलो, मुख्नलिफ सम्यताओं और मुख्नलिफ धर्मों के काफले का सम्मिलन हो। अभी मानव इतिहास का प्रभात भी न हुआ था कि इन काफलों का यहाँ आना शुरू होगया और फिर, एक के बाद एक, मिल-सिला जारी रहा। हिन्दुस्तान की विशाल सर जमीन सबका स्वागत करती रही और इस उदार भूमि की गोद में सबको जगह मिली। इन्हीं काफलों में एक आखिरी काफला हम मुसलमानों का भी था। यह भी पिछले काफलों के पदचिह्नों पर चलता हुआ यहाँ पहुँचा और हमेशा के लिये बस गया। यह दुनिया की दो अलग अलग कौमों और तहजीबों की धाराओं का मिलन था। यह गगा और जमुना की धाराओं की तरह पहले एक दूसरे से अलग अलग बहते रहे, लेकिन फिर प्रकृति के अटल नियम के अनुसार दोनों को एक ही संगम में मिल जाना पड़ा। इन दोनों का मेल इतिहास की एक जबरदस्त घटना थी। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन से प्रकृति के द्विरुद्ध हातों ने पुराने हिन्दुस्तान की जगह एक नए हिन्दुस्तान के ढालने का काम शुरू कर दिया।

हम अपने साथ अपनी पूँजी लाए थे और यह सर जमीन भी अपनी पूँजी से मालामाल थी। हमने अपनी दौलत इसके हवाले कर दी और उसने अपने खजानों के दरवाजे हम पर खोल दिये। हमने उसे इसलाम की पूँजी की वह सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी जिसकी उसे उम समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने उसे जम्हूरियत और इनसानी मसावात यानी जनतंत्र और मानव एकता का सन्देश पहुँचा दिया।

इतिहास की पूरी ११ सदियों इस घटना पर बीत चुकी है। अब इसलाम भी इस सर जमीन पर वैसा ही दावा रखता है जैसा दावा हिन्दू धर्म रखता है। अगर हिन्दू धर्म कई हजार साल से इस सर जमीन के बाशिन्दों का धर्म रहा है

तो इसलाम भी एक हजार बरस से इसके वाशिन्दो का मजहब चला आता है। जिस तरह आज एक हिन्दू अभिमान के साथ कह सकता है कि वह हिन्दुस्तानी है और हिन्दू मजहब का माननेवाला है ठीक उसी तरह हम भी अभिमान के साथ कह सकते हैं कि हम हिन्दुस्तानी हैं और इसलाम मजहब के माननेवाले हैं। मैं इस क्षेत्र को इससे भी ज्यादा बढ़ाऊँगा। मसलन मैं एक हिन्दुस्तानी ईसाई का भी यह अधिकार स्वीकार करता हूँ कि वह आज सर उठाकर कह सकता है कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ और हिन्दुस्तान के वाशिन्दो के एक मजहब यानी ईसाई मजहब का माननेवाला हूँ।

हमारे ११ सदियों के मिले जुले इतिहास ने हमारी हिन्दुस्तानी जिन्दगी के एक एक कोने को अपने तामीरी सामानों यानी अपनी रचनात्मक सामग्री से भर दिया है। हमारी भाषाएँ, हमारी शायरी, हमारा भावित्व, हमारा सामाजिक जीवन, हमारी रुचि, हमारे गौक, हमारा लिवान, हमारे रस्म रिवाज, हमारे दैनिक जीवन की वेशुमार हकीकतें, कोई कोना भी ऐसा नहीं है जिस पर इस मयुक्त जीवन की छाप न लग चुकी हो। हमारी बोलियाँ अलग थीं मगर हम एक ही जवान बोलने लगे। हमारे रस्म रिवाज एक दूसरे से जुदा थे मगर उन्होंने मिलजुल कर एक नया सॉचा पैदा कर लिया। हमारा पुराना लिवास इनिहास के पुराने चित्रों में देखा जा सकता है मगर अब वह हमारे बदन पर नहीं मिल सकता। यह तभाम मिलीजुली पूँजी हमारी मयुक्त गण्टीयता की एक दौलत है और हम इसे छोड़कर उस जनाने की तरफ लौटना नहीं चाहते जब हमारी यह मिलीजुली जिन्दगी शुरू नहीं हुई थी। हमें यदि ऐसे हिन्दू मस्तिष्क मौजूद हैं जो चाहते हैं कि एक हजार साल पहले का हिन्दू जीवन वापस ले आये तो उन्हे मालूम होना चाहिये कि वे एक स्वप्न देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसी तरह अब ऐसे मुसलमान दिमाग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि अपनी उस बीती हुई तहजीब और समाजी जिन्दगी को फिर ताजा करे जो वह एक हजार साल पहले ईरान और मध्य एशिया से लाए थे तो मैं उनसे भी कहूँगा कि इस स्वप्न से वह जितनी जल्दी

जाग जायें बेहतर हैं, क्योंकि यह एक अप्राकृतिक कल्पना, एक गैर कुदरती तख्युल है और इस तरह के ख्यालात् वास्तविकता की जमीन मे नहीं उग सकते। मैं उन लोगों मे हूँ जिनका विश्वास है कि पुरानी चीजों को फिर से ताजा करने की, यानी रिवाइवलिज्म की, जरूरत मज़हब के मैदान मे है, लेकिन समाजी जिन्दगी मे रीवाइवलिज्म का मतलब तरक्की से इनकार करना है। हमारे इस एक हजार साल के मिलेजुले जीवन ने एक सयुक्त राष्ट्रीयता, एक मुक्तहिदा कौमीयत, का सॉचा ढाल दिया है। इस तरह के सॉचे बनाए नहीं जा सकते, वह प्रकृति के छिपे हुए हाथों से सदियों मे खुद बखुद बना करते हैं। अब सॉचा ढल चुका और भाग्य की मुहर उसपर लग चुकी। हम पसन्द करे या न करे मगर अब हम एक हिन्दुस्तानी कौम और अविभक्त यानी नाकाबिले तक-सीम हिन्दुस्तानी कौम बन चुके हैं। पृथकता की कोई बनावटी कल्पना हमारे इस एक होने को दो नहीं बना दे सकती। हमे प्रकृति के फैसले पर रजामन्द होना चाहिये और अपने भाग्य की तामीर मे लग जाना चाहिये।

अन्त

सज्जनो! मैं आपका अब ज्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अब अपनी तकरीर समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन समाप्त करने से पहले मुझे एक बात की याद दिलाने की इजाजत दीजिये। आज हमारी सारी कामयाबियों का दार मदार तीन चीजों पर है, हमारी सफलता इन्हीं पर निर्भर है—

इत्तहाद यानी एकता, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, और महात्मा गान्धी के नेतृत्व, यानी उनकी रहनुमाई पर पूरा भरोसा। यही एकमात्र नेतृत्व है जिसने हमारे आनंदोलन का पिछला शानदार इतिहास तामीर किया है और केवल इसी से हम एक विजयी भविष्य की आशा कर सकते हैं।

हमारी परीक्षा का एक नाजुक समय हमारे सामने है। हमने सारी दुनिया की निगाहों को नजारा देखने की दावत दे दी है। कोशिश कीजिये कि हम इसके योग्य साबित हों।

मुद्रक—जे० के० शर्मा, इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद
प्रकाशक—प्रधान मन्त्री, स्वागतकारिणी समिति, रामगढ़ काँप्रेस

